न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 27/2014

बउनवान

रामकुंवार आयु 42 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी सीमली तह0 बारां जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

गोरधन पुत्र गोरूलाल जाति धाकड़ निवासी सीमली तह0 बारां जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बारां निर्णय दिनांक 21.01.2013 कमांक/राजस्व/12 अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0ए0 उनवान गोरधन बनाम रामकुंवार अन्तर्गत धारा 225 आरटीए

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री हजारीलाल भार्गव अभिभाषक **(रेस्पोडेंट)**

निर्णय दिनांक 30.09.2021

अपीलांट द्वारा तहसीलदार बारां के आदेश दिनांक 5.11.2009 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेंट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलांट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 112 की ग्राम सीमली में स्थित है जिस पर अपीलांट द्वारा मेरबंदी की हुई है किसी प्रकार का कोई रास्ता ना मौके पर है ना राजस्व रिकार्ड में दर्ज है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया ना कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया बिना अपीलांट की सुनवाई किये एक तरफा मनमाना निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पों0 का रास्ता हमेशा से कांकड़ में होकर रहा है किन्तु कांकड़ की जमीन दूसरे व्यक्ति को आवंटन हो जाने के कारण तथा उसके द्वारा रास्ते में अवरोध पैदा करने से जानबूझकर अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके अपीलांट के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी में होकर नया रास्ता कायम करना चाहता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को सीधे रूप से नया रास्ता कायम करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। रास्ते के संदर्भ में रेस्पो0 को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो उसे सक्षम ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था अगर ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से 45 दिन के अंदर ग्राम पंचायत प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नही करती तो सुनवाई के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जाता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त है। अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 112 व उसके पास की आराजी खसरा नंबर 85 राजू पुत्र धूलीलाल मीणा की है ना उसे पक्षकार बनाया गया ना उसे कोई नोटिस जारी किया रेस्पो० से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर राजनैतिक प्रभाव के कारण जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट जर्ये अभिभाषक उपस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड बाबत तहसीलदार बारां के पत्र क्रमांक राजस्व/18/631 दिनांक 08.05.18 से रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि "कार्यालय हाला में गोरधन पुत्र गोरूलाल जाति धाकड़ निवासी सीमली द्वारा मुर्तफरिक प्राथना पत्र बाबत रास्ता खुलासा करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रशासनिक रूप से आदेश क्रमांक राजस्व/13/101–107 दिनांक 21.01.2013 को जारी किया गया था। यह प्रशासनिक आदेश था इसकी कोई न्यायिक पत्रावली धारा 251 आरटीए के तहत कार्यालय हाजा में संधारित नहीं हुई है।"

तहसीलदार, बारां से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने हस्तगत प्रकरण बहस हेतु दिनांक 16.07.2018 को नियत किया गया। बहस के स्तर पर पत्रावली दिनांक 16.07.2018 से विचाराधीन रही है। इतनी अधिक समयावधि से पत्रावली बहस के स्तर पर विचाराधीन रहने के पश्चात भी अभिभाषकगण निरंतर समय चाहते रहे। अभिभाषक रेस्पो० नियत तिथि दिनांक 20.09.2021 को बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस एकपक्षीय समाअत कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौरान बहस अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया ना कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया बिना अपीलांट की सुनवाई किये एक तरफा मनमाना निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रचलित रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने पर सर्वप्रथम आवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा यदि ग्राम पंचायत आवेदन प्रस्तुत होने के 45 दिवस में कोई कार्यवाही नहीं [illegible] प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होता है। परन्तु अधीनस्थ [illegible] कोई गौर नहीं किया तथा मात्र पटवारी हल्का एवं भू अ[illegible] रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by: Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

कार्यालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से भी यह स्पष्ट अवगत होता है कि उक्त आदेश जारी किये जाने से पूर्व विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां का आदेश क्रमांक राजस्व/13/101–107 दिनांक 21.01.2013 निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर आने जाने हेतु विधिक प्रक्रिया अनुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:08 IST
Reason: SelfAttested